बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झाँसी

बीआईईटी–135 / स्था0–का0आ0 / 2020–740 दिनाँकः 21 मार्च, 2020

–:: कार्यालय–आदेश ::–

संस्थान के समस्त संकाय सदस्यो / अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि, उ0प्र0 शासन के कार्मिक अनुभाग–4 द्वारा निर्गत पत्र संख्या–303 / सामान्य–का–4–2020 दिनॉक 20 मार्च, 2020 के निर्देशों के कम में "कोरोना वायरस (COVID-19)" के प्रसार को रोकने के लिए अपनाये जाने वाले निवारण उपाये विषयक पर निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। संस्थान / शासन के महत्वपूर्ण कार्यो के दृष्टिगत शासकीय निर्देशन के कम में सभी विभागाध्यक्ष अपने विभागीय संकाय सदस्यो / अधिकारियों / कर्मचारियों की 50% उपस्थिति सप्ताहिक रोस्टर के आधार पर सुनिश्चित करेगे, साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार बना लें कि, ऐसे कर्मी अलटरनेट सप्ताह में कार्यालय आये परन्तु इससे संस्थान कार्यो में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। उक्त के कम में कर्मियों का रोस्टर विवरण अधोहस्ताक्षरी को आज ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। रोस्टर व्यवस्था दिनॉक 04.04.2020 तक लागू रहेगी। उक्त के अतिरिक्त अन्य शिक्षक / अधिकारी / कर्मचारीगण मोबाइल / टेलीफोन / वाह्टस–एप / ई–मेल पर उपलब्ध रहने व घर से ही कार्य सम्पादित करें तथा अति–आवश्यक कार्य के दृष्टिगत संस्थान हित में बुलाये जाने पर तत्काल उपस्थित होगें एवं बिना पूर्वानुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेगें। संस्थान मे अपने कार्य स्थल पर आने पर सम्बन्धित कर्मी सेनेटाइजर प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से पालन करेगें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि, बिजली, पानी एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित सेवाएं अनवरत जारी रहेगी जिसके लिए सम्बन्धित सभी अधिकारी / कर्मचारी अपनी सेवाएं अनवरत रूप देते रहेगें।

उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त शिक्षक / अधिकारी / कर्मचारी मा0 प्रधानमंत्री जी के कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के सम्बन्ध में दिनॉक 22.03.2020 को प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक **"जनता कर्फ्यू"** के आवाह्न का व्यापक जनहित में निष्ठापूर्वक पालन करेंगें।

उक्त आदेश का अनुपालन तत्काल प्रभाव से करना सुनिश्चित करें।

(प्रो0 वी0के0 त्यागी)
निदेशक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त विभागाध्यक्ष / डीन / प्रभारी
2. चिकित्साधिकारी।
3. कुलसचिव (का0)
4. वित्त एवं लेखाधिकारी।
5. शाखा प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा बी0आई0ई0टी0, झॉसी।
6. प्रभारी डाक शाखा, बी0आई0ई0टी0, झॉसी।
7. अध्यक्ष / प्रभारी विद्युत।
8. प्रभारी, वेवसाइट को अपलोड करने हेतु।
9. प्रभारी बागवानी एवं कैम्पस अपकीप को इस निर्देश के साथ कि, संस्थान में साफ–सफाई एवं सेनेटाइजिंग की उचित व्यवस्था करते रहेगें।
10. समस्त सूचना पटट्।
11. सम्बन्धित पत्रावली।

(प्रो0 वी0के0 त्यागी)
निदेशक

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-303/सामान्य-का-4 -2020
लखनऊ दिनांक 20 मार्च, 2020

कार्यालय ज्ञाप

विषयः- सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस नये (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिये अपनाये जाने वाले निवारक उपायः-

उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार के स्तर से आदेश संख्या- 581/पांच-5-2020 दिनांक 17-03-2020 द्वारा विस्त्रत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसी क्रम में सरकारी कार्यालयों के लिये निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं-

1- सभी विभागाध्यक्ष इस प्रकार की व्यवस्था करेगें कि प्रत्येक दिन कार्यालयों में समूह ख, ग तथा घ के 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो तथा शेष 50 प्रतिशत घर से ही कार्य निष्पादित करें। इसके लिये विभागाध्यक्षों के स्तर से रोस्टर तय किया जायेगा। विभागाध्यक्षों को सुझाव दिया जाता है कि वह अपने यहां कार्यरत समूह ख, ग तथा घ के कर्मचारियों का साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार बना लें कि ऐसे कर्मी अलटरनेट सप्ताह में कार्यालय आयें परन्तु इससे शासकीय कार्य में, विशेष रूप से बजट के कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो। प्रथम सप्ताह में कार्यालय आने वाले कर्मियों का चिन्हीकरण करते समय घर से दूरी एवं कार्यालय आने में उपयोग किये जाने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जायेगा।

2- कार्यालय आने वाले कार्मिकों के लिये भी समय का आवंटन तीन पालियों में निम्नानुसार किया जायः-

क- प्रातः 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक
ख- प्रातः 10:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक
ग- प्रातः 11:00 बजे से सांय 7:00 बजे तक

;- रोस्टर के अनुसार घर से कार्य संपादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेगें उन्हें आवश्यकता पडने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

;- अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जाय।

;- यह दिशा निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नही होगें जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुडे हैं जो कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं।

;- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें और 4 अप्रैल, 2020 तक लागू रहेगें। इन निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

20.03.2020

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या- 303(1)सा0 - का-4 -2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
- निदेशक सूचना विभाग उ0 प्र0 लखनऊ ।

आज्ञा से,

(मुकुल सिहंल)
अपर मुख्य सचिव।